न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा (राज.)
पीठासीन अधिकारी – श्री महावीर प्रसाद नायक R.A.S.

प्रकरण संख्या : /2019 राजस्व अपील

उनवान

1 श्री भागचन्द पिता रामकरण माली उम्र वयस्क निवासी फुलियाकंला तहसील फुलियाकंला जिला भीलवाडा (राज0)

2 गोपाल पिता रामकरण माली उम्र वयस्क निवासी फुलियाकंला तहसील फुलियाकंला जिला भीलवाडा (राज0)

—— अपीलार्थीगण

बनाम

1 श्री महावीर पिता रामलाल माली उम्र वयस्क निवासी फुलियाकंला तहसील फुलियाकंला जिला भीलवाडा (राज0)

2 श्री रामेश्वर पिता गोकल माली उम्र वयस्क निवासी फुलियाकंला तहसील फुलियाकंला जिला भीलवाडा (राज0)

3 रूकमा बेवा रामकरण माली उम्र वयस्क निवासी फुलियाकंला तहसील फुलियाकंला जिला भीलवाडा (राज0)

4 ग्राम पंचायत फुलियाकंला तहसील फुलियाकंला जरिये सरपंच ग्राम पंचायत फुलियाकंला तहसील फुलियाकंला जिला भीलवाडा

5 राज. राज्य जरिये तहसीलदार फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा (राज.)

——रेस्पोडेण्ट्स

<u>अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामा. संख्या 2164 आदेश दिनांक 21–12–2015 ग्राम पंचायत फुलियाकंला</u>

1. अपीलार्थीगण 01, 02 उपस्थित
2. रेस्पोडेण्ट्स संख्या 01 से 03 उपस्थित
3. रेस्पोडेण्ट्स संख्या 04 अनुपस्थित

<u>निर्णय</u>

दिनांक – 19.12.2019

अपील के संक्षेप तथ्य यह है कि ग्राम फुलियाकंला, पटवार मण्डल फुलियाकंला स्थित खतौनी संख्या 1142 किता 10 कुल रकबा 05.53 है. के ग्राम पंचायत फुलियांकला द्वारा सर्वसम्मती से नामान्तकरण संख्या 2164 दिनांक 21.12. 2015 को अस्वीकृत कर फैसल कर दिया गया। जबकि कोरम में भरकर प्रस्तुत कराया गया ईन्तकाल सही एवं सत्य था। किन्तु फिर भी अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत कराये गये आवश्यक दस्तावेजात की अनदेखी करते हुए, जानबूज कर सम्पूर्ण जानकारी लिये बिना ही आदेश पारित कर महत्वपूर्ण विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटी की है।

प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अपीलार्थी/प्रार्थीगण की विलम्बित अवधि क्षम्य की जाती है।

अपील पत्र अन्तर्गत धारा 75 एल आर एक्ट विरूद्ध रेस्पोडेट्स बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रकरण का मेरिट्स पर परीक्षण किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन एवं मनन किया गया तथा उपस्थित अपीलार्थीगणों एवं प्रत्यर्थीगणो को सुना गया। हम अपीलार्थीपक्ष के इस तर्क से सहमत है कि कोरम में आवश्यक दस्तावेजात के आधार पर भरकर प्रस्तुत कराया गया ईन्तकाल विधिक तौर पर सही एवं सत्य था। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत कराये गये आवश्यक दस्तावेजात के तौर पर तीनों ईकरार नामा दिनांकित 10.07.2015 की अनदेखी करते हुए, जानबूज कर सम्पूर्ण जानकारी लिये बिना ही अस्वीकृत आदेश पारित कर महत्वपूर्ण विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटी की है। एवं दूसरी ओर उभयपक्षों ने उपस्थित होकर अपील अपीलार्थीगण स्वीकार किये जाने में सहमती स्वरूप अपील मेमों पर हस्ताक्षर अंकित किये है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

: : आदेश : :

अतः अपील अपीलार्थीगण सहमती से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामा. संख्या 2164 आदेश दिनांक 21.12.2015 अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार फुलियाकंला को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अस्वीकृत किये गये अपीलाधीन नामा. संख्या 2164 आदेश दिनांक 21.12.2015 के वक्त कोरम में भरकर प्रस्तुत कराये गये ईन्तकाल को यथावत कर, उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2019 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया। उक्त निर्णय की प्रति तहसीलदार फुलियाकंला को पालनार्थ प्रेषित हो।

(महावीर प्रसाद नायक)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

क्रमांक/प्रकरण संख्या/अपील एलआर/06/2019 दिनांकः 19.12.2019
प्रतिलिपिः–

तहसीलदार फुलियाकंला को पालनार्थ प्रेषित हो ।

उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
फुलियाकलाँ (भीलवाड़ा) राज.